

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

—:: सार्वजनिक सूचना ::—

क्रमांक / 1027 / भू-अर्जन / आ0क्र0नि0-16

दुर्ग, दिनांक 12 / 03 / 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सेलूद-जामगांव-रानीतराई-पाटन मार्ग निर्माण योजना हेतु ग्राम :- करेला प.ह.नं. 43 तहसील-पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) के भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के प्रावधानों के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि को छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

(क्रय की जाने वाली भूमि व कृषकों के विवरण)										
जिला	तहसील	नगर ग्राम	स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम		क्रय की जाने वाली भूमि हे.में			स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
						खसरा	रकबा	प्रभावित रकबा (व.मी.में)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
दुर्ग	पाटन	करेला	1	दोनाराम	रामलाल	211/2	0.0040	39.72	निजी भूमि	सेलूद- जामगांव- रानीतराई - पाटन मार्ग निर्माण योजना ग्राम करेला प.ह. नं. 43 तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
"	"	"	2	दोनाराम	रामलाल	211/2	0.0013	13.49	कच्चा मकान निजी भूमि	
"	"	"	3	नेतराम	रामलाल	211/1	0.0006	6.14	कच्चा मकान निजी भूमि	
"	"	"	4	अमरीका प्रसाद	मदन लाल सोनी	281/8 /187	0.0018	17.58	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	5	हरेन्द्र सोनी	उदराम सोनी	281/8 /188	0.0009	9.21	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	6	अहिल्या/ चन्द्रकांत बंछोर	रामचरण	201/3 /59	0.0008	7.54	पक्का मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	7	छगनलाल सोनी	लखन लाल	281/8 /186	0.0007	7.07	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	8	संजय/ परसादी बंछोर	रामचरण	201/3 /62	0.0010	9.86	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	9	दिनेश सोनी	अमरीका	281/8 /184	0.0007	7.26	पक्का मकान (आबादी भूमि)	
"	"	"	10	दिनेश सोनी	अमरीका	281/8 /184	0.0003	3.07	बाउण्ट्रीवाल (आबादी भूमि)	
"	"	"	11	रतोराम	छवीराम	201/3 /63	0.0014	13.95	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	



= 02 =

		12	बलीराम	माखन	201/2/ 38	0.0013	13.40	कच्चा मकान (आबादी भूमि)	
		13	खुमान साहू	हीराधर	201/2 /36	0.0039	39.35	पक्का मकान (आबादी भूमि)	
		14	बल्लूराम	माखन	201/2 /39	0.0016	15.91	पक्का मकान (आबादी, भूमि)	
			कुल योग-14 खातेदार		14	"	220.55	"	"

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर दुर्ग के राक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

(अंकित आनंद)

कलेक्टर जिला दुर्ग (छ.ग.)  
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,  
दुर्ग, दिनांक 12/03/2020

क्रमांक / 1028 / भू-अर्जन / आ0क्र0नि0-16

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि.रोतु निर्माण संभाग रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सार्वजनिक सूचना को एक राज्य स्तरीय दैनिक सामाचार पत्र एवं स्थानीय सामाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ। कृपया सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) दुर्ग (छ.ग.) वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. तहसीलदार, पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सप्तर्ष ग्राम पंचायत-करेला तहसील- पाटन जिला-दुर्ग (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित एवं ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड में प्रकाशन हेतु।

(अंकित आनंद)

कलेक्टर जिला दुर्ग (छ.ग.)  
एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,